भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3571
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 11 अगस्त, 2025
20 श्रावण, 1947 (शक)

चंडीगढ़ में विरासत संरक्षण समिति

3571. श्री मनीश तिवारी:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए गठित विरासत संरक्षण समिति की कानूनी स्थिति क्या है और वह विशिष्ट कानून या सांविधिक प्रावधान क्या है जिसके तहत इसका गठन किया गया था;

(ख) क्या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने उक्त समिति के गठन का अधिकार किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम से प्राप्त किया था, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह देखते हुए कि संस्कृति मंत्रालय ने दिनांक 03.02.2025 के एक संसदीय प्रश्न के उत्तर में कहा था कि चंडीगढ़ को विरासत शहर के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, चंडीगढ़ में विरासत समिति को जारी रखने के औचित्य और कानूनी अधिकार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चंडीगढ़ विरासत समिति की स्थापना के बाद से उसकी प्रमुख गतिविधियों, पहलों और परिणामों का ब्यौरा क्या है, विशेष रूप से उन गतिविधियों का जिनका विरासत संरक्षण और स्थापत्य संरक्षण पर शहरव्यापी प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दिनांक 20.4.2012 की अधिसूचना के तहत चंडीगढ़ धरोहर संरक्षण समिति (सीएचसीसी) का गठन किया गया था। चंडीगढ़ धरोहर संरक्षण समिति का गठन, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ धरोहर समिति की रिपोर्ट के उत्तर में गृह मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात किया गया था।

पूरे चंडीगढ़ शहर को धरोहर के रूप में घोषित नहीं किया गया है। तथापि, विशेषज्ञ धरोहर समिति की रिपोर्ट में शहर के पहले चरण अर्थात् सेक्टर 1 से 30 तक को धरोहर का दर्जा देने की सिफ़ारिश की गई है। इस रिपोर्ट में कुल 13 धरोहर क्षेत्रों और धरोहर भवनों की पहचान की गई है, जिन्हें उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व और अद्वितीय वास्तुशिल्पीय मूल्य के आधार पर धरोहर श्रेणी-I, II और III में वर्गीकृत किया गया है। चंडीगढ़ धरोहर संरक्षण समिति का अधिदेश इस शहर के सूचीबद्ध धरोहरों का उचित संरक्षण, परिरक्षण, जीर्णोद्धार और अनुरक्षण सुनिश्चित करना है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में चंडीगढ़ धरोहर संरक्षण समिति की विधिक स्थिति को और शशक्त किया है, जिसमें चरण-I के अधीन सेक्टरों में किसी भी सरकारी आवासीय/संस्थागत पॉकेट के पुनर्घनत्वीकरण, पहले चरण में चिन्हित किए गए आवासीय/संस्थागत पॉकेट के पुनः उपयोग तथा नियमों या उपनियमों के निर्माण जैसे मुद्दों के लिए धरोहर समिति से परामर्श करने जैसे विषयों के लिए धरोहर समिति की मंजूरी का प्रावधान है।

(घ) चंडीगढ़ धरोहर संरक्षण समिति ने अपने गठन के बाद से अभी तक 25 बैठकें की हैं और सेक्टर 1 से 30 में विभिन्न परियोजनाओं के विकास/पुनर्विकास से संबंधित विभिन्न संवेदनशील मुद्दों का निपटान किया है। धरोहर समिति की देखरेख में किए गए कुछ प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• कैपिटल कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ को धरोहर का दर्जा देने के लिए ट्रांस बॉर्डर सीरियल नामांकन डोजियर को अंतिम रूप देना, जिसे अगस्त, 2016 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया गया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, कैपिटल कॉम्प्लेक्स की प्रबंधन योजना की प्रगति की निगरानी करता है।

• पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विभिन्न कार्य, जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं और जिनकी प्रगति की निगरानी माननीय उच्च न्यायालय की भवन समिति द्वारा की जा रही है।

• सिटी सेंटर, सेक्टर-17 की समग्र योजना और पुनरुद्धार करना जिसमें सेक्टर-17 और रोज़ गार्डन के बीच सुरंग का निर्माण, कंक्रीट के अग्रभागों का जीर्णोद्धार, एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर और सेंट्रल प्लाजा का जीर्णोद्धार शामिल है।

• प्रथम चरण के विभिन्न सेक्टरों में सरकारी आवासों में विभिन्न परिवर्धन और परिवर्तन तथा इस हेतु एक समान नीति विकसित करना।

• स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) और पंजाब विश्वविद्यालय की व्यापक योजना।

• ली कार्बूज़िए केंद्र (पुराना वातुविद कार्यालय), सेक्टर-19 का जीर्णोद्धार।

• प्रेस भवन, सेक्टर-18 में भारतीय वायु सेना संग्रहालय।

*****